वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, भारत एकता टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 03.06.2025

दशाश्वमेध प्लाजा में 5 का आवंटन निरस्त

वाराणसी। दशाश्वमेध प्लाजा के आवंटन के लिए में पैसा जमा नहीं करने वाले 5 लोगों का आवंटन निरस्त किया गया है। इनकी जगह दूसरे लोगों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। साथ ही इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। सुंदरीकरण में 61.77 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें मेटल जाली डिजाइन बनाई जाएगी। इसकी खिड़कियों और दरवाजों पर फ्लोरल और कलश-आधारित डिजाइन वाली एमएस मेटल जालियां लगेंगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 03.06.2025

अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा के निर्देश पर अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के कानूडीह में बनारसी सिंह वीडीए से बिना ले आउट पास कराए, अवैध तरीके से पांच बीघा में जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से सभी बाउंड्री तोड़ने के साथ कालोनाइजर को नोटिस जारी की गई है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 03.06.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। जोन-1, वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-शिवपुर, के अंतर्गत बनारसी सिंह मौजा कानूडीह परगना शिवपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 5 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त दिनांक 26-10-2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया तद्‌क्रम में दिनांक 27.01.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

भारत एकता टाइम्स–दि0 03.06.2025

अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित कानूडीह में 05 बीघे में अवैध तरीके से प्लाटिंग करके कालोनी विकसित की जा रही थी। नोटिस के बाद भी जमीन की खरीद फरोख्त और प्लाट काटने की सूचना पर वीडीए की टीम अपना बुलडोजर लेकर पुलिस के साथ पहुंच गई। जोनल अधिकारी शिवाजी ने बताया कि कानूडीह में बनारसी सिंह 05 बीघे जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग करके कालोनी डेवलप कर रहे थे। जानकारी होने पर 26 अक्टूबर 2024 को विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी करते हुए प्लाटिंग करने वाले को लेआउट और नक्शा स्वीकृत कराने को आवेदन देने को कहा गया। सात महीने बाद भी जब बनारसी सिंह ने कोई आवेदन नहीं प्रस्तुत किया तो अवैध तरीके से की गई प्लाटिंग को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ। वीडीए सचिव के आदेश पर टीम ने बुलडोजर से 05 बीघे में हुई प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल के साथ लोकल पुलिस भी मौजूद थी।

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in